न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA 49 of 2022 (GCMS 467 of 2022)

भेराराम पुत्र पीराराम जाट
निवासी ग्राम बरसालू खुर्द,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सायरी पुत्री खरताराम जाट
2. अर्जुनराम पुत्र खरताराम जाट
   निवासीगण ग्राम बरसालू, तहसील ओसियां,
   जिला जोधपुर
3. बनाराम पुत्र आसुराम जाट
   निवासी ग्राम हतुण्डी, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
4. तहसीलदार ओसियां,
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां, दिनांक 09 मार्च 2022 राजस्व वाद संख्या 139/2019 भेराराम बनाम सायरी इत्यादि

उपस्थित-
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4

निर्णय

दिनांक : 08 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 139/2019 भेराराम बनाम सायरी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09 मार्च 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 अप्रेल 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बरसालूखुर्द स्थित आराजी खसरा संख्या 49 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा संख्या 76/1 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 15 फरवरी 2021 को प्रतिवादी-पक्ष की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वादी भेराराम द्वारा दावा तथ्यों को छिपाते हुए विधि द्वारा बाधित दावा पेश किया जाना जाहिर किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 मार्च 2022 को दावा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर वादी-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी-अपीलाण्ट के पिता पीराराम की खातेदारी की भूमि है तथा उनका देहान्त होने के समय वादी-अपीलाण्ट नाबालिग था, वादी-अपीलाण्ट के भाई रामूराम का अविवाहित अवस्था में बाल्याकाल में ही देहान्त हो चुका था, जिससे पीराराम का एकमात्र वारिस वादी-अपीलाण्ट ही रहने से वादग्रस्त आराजियात बाबत उसका नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये म्युटेशन संख्या 113 दर्ज किया गया। रेस्पो. संख्या एक व दो परस्पर भाई-बहिन है तथा रेस्पो. संख्या तीन रेस्पो. संख्या एक का बहनोई है। रेस्पो. संख्या 2 व 3 ने वादी-अपीलाण्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि हडपने की नीयत से रेस्पो. संख्या एक को वादी-अपीलाण्ट के उक्त भाई रामूराम की पत्नी दर्शाते हुए म्युटेशन संख्या 113 के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश करवाई और तहसीलदार ओसियां के आदेश दिनांक 16 मार्च 2009 के अनुसरण में दिनांक 22 अप्रेल 2009 को म्युटेशन 216 स्वीकृत कराया जाकर रेस्पो. संख्या एक का नाम वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में

10.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रविष्ट कराया गया। रेस्पो. संख्या 2 व 3 ने वादग्रस्त आराजियात हडपने की नीयत से दिनांक 04 मई 2009 को एक बेचाननामा अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया और उसके बाद एक वाद रूपी बनाम सायरी के नाम से न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां में पेश कराया, जिसमें अपीलाण्ट ने जबाबदावा पेश कर रामुराम का देहान्त बाल्यकाल में अविवाहित अवस्था में होना बताया, जिसका कोई खण्डन भी नहीं किया गया और उक्त दावा खारिज हो गया। जिसकी अपील अदालत हाजा में की गयी। इस प्रकार रेस्पो. येन-केन-प्रकरेण वादी-अपीलाण्ट की वादग्रस्त आराजियात हडपने हेतु कटिबद्ध है और इसी कम में आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपने उक्त प्रार्थनापत्र में रेस्पो. ने वादगस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के हक-हकूक म्युटेशन की अपील के जरिये विनिश्चित हो जाना जाहिर किया है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि म्युटेशन अपील में पारित निर्णय के खिलाफ अपीलाण्ट-वादी की ओर से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील/एलआर/7343/2011 अनवान शेराराम उर्फ भेराराम बनाम सायरी विचाराधीन है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि म्युटेशन अथवा म्युटेशन की अपील की कार्यवाही के जरिये पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन नहीं होता है बल्कि खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन मात्र नियमित राजस्व वाद के जरिये ही हो सकता है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय केवल वादपत्र का ही अवलोकन किया जायेगा, प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया जायेगा, मगर विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में इस सिद्धान्त को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अंत में

09.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आलोच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट-वादी द्वारा विचारण न्यायालय में तथ्यों को छिपाते हुए दावा पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजियात के खातेदार पीराराम के पुत्र रामुराम की विवाहिता पत्नी प्रतिवादी संख्या एक सायरी एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है, और वादग्रस्त आराजियात में उसका हक-हिस्सा बनता है, मगर पीराराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात बाबत जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 113 राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज नहीं हुआ, अतः उसके द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 113 के खिलाफ म्युटेशन अपील संख्या 12/2007 न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर में पेश की जो दिनांक 24 मार्च 2008 को स्वीकार हुई तथा प्रकरण तहसीलदार ओसियां को प्रतिप्रेषित किया गया, तहसीलदार ओसियां द्वारा मामले में समुचित जांच कर निर्णय दिनांक 16 मार्च 2009 पारित कर म्युटेशन संख्या 216 के जरिये दिनांक 22 अप्रेल 2009 को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या एक का नाम वादग्रस्त आराजियात बाबत सहखातेदार के तौर पर दर्ज किया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 216 के आदेश के खिलाफ वादी-अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गयी, जो दिनांक 07 अक्तूबर 2011 को खारिज की गयी। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों का खुलासा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जरिये होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 मार्च 2022 विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। वादी-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दावा विचाराधीन रहने के दौरान प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दावा सीपीसी की धारा 11 (घ) के तहत रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त लागू होना मानते हुए खारिज किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया और सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान इस प्रकार है-

Order VII Rule 11 Rejection of plaint

The plaint shall be rejected in the following cases-

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:

Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

अपने प्रार्थनापत्र में प्रतिवादी-रेस्पो. द्वारा उक्त में से प्रथम तीन बिन्दुओं अर्थात वादी-अपीलाण्ट के वाद बाबत कॉज ऑफ एक्शन अथवा वादी-अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन अथवा प्रश्नगत सम्पत्ति के मूल्यांकन के संबंध में कोई आक्षेप नहीं उठाया गया है अपितु विभिन्न

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालयों में हुई कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए पारित निर्णयों/आदेशों की छायाप्रतियॉ प्रार्थनापत्र के संलग्न करते हुए दावा विधि द्वारा बाधित होना जाहिर किया गया है। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दावा रेसज्युडिकेटा से बाधित होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय के जरिये खारिज कर दिया गया, जिससे अदालत सहमत नहीं है क्योंकि-

- अव्वल तो सीपीसी के आदेश 7 नियम 11(डी) में स्पष्ट प्रावधान है कि वादपत्र के अवलोकन से ही दावा विधि द्वारा बाधित प्रकट होना चाहिये, जबकि आलौच्य मामले में वादपत्र में किये गये अभिकथनों से ऐसा प्रकट नहीं होता है।

- वादपत्र में किये गये अभिकथनों से इतर अगर दावा विधि द्वारा बाधित होने का आक्षेप प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिया जाता है तो उस संबंध में विधिक तनकी कायम की जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई मामले का निस्तारण किये जाने के समय सर्वप्रथम ऐसी विधिक तनकी का विनिश्चयन किया जाना चाहिये।

- जहॉ तक दावा रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने का प्रश्न है, इस संबंध में धारा 11 सीपीसी में प्रावधित किया गया है कि - No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court. उल्लेखनीय है कि आलौच्य मामले में ऐसे किसी पूर्ववर्ती वाद एवं उसमें पारित निर्णय का विवरण उपलब्ध नहीं है जिसमें इन्ही वादग्रस्त आराजियात बाबत इन्ही

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान के मध्य चाहे गये इसी अनुतोष बाबत विनिश्चयन गुणावगुण के आधार पर किया गया हो।

- वादग्रस्त आराजियात बाबत म्युटेशन अपील की कार्यवाही में पारित निर्णय के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान दावा रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित माना जाना सही नही है क्योंकि म्युटेशन अथवा म्युटेशन अपील के जरिये खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन नहीं होता है और आलौच्य मामले में म्युटेशन बाबत कोई निर्णय अंतिम नहीं हुआ है क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष इस संबंध में अपील/एलआर/7343/2011 अनवान शेराराम उर्फ भेराराम बनाम सायरी विचाराधीन है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09 मार्च 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूल वाद में निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए मामले का गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर